

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग हाथरस।

Mandu Road Sukhna near R.T.O Office, Hathras- E-mail- dfohathras@gmail.com

पत्रांक २२७०/१४-१, दिनांक: हाथरस, अप्रैल, ११ - २०१८

सेवा में,

उप महाप्रबन्धक,
पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०,
उत्तरी क्षेत्र-३ फ्लैट नं०-३०४, ब्लॉक-डी
ग्रीनपार्क टाउनशिप एटा बाईपास रोड,
पोस्ट-कवासी अलीगढ़।

विषय:- ७६५ के०वी० द्वि परिपथ औरई-अलीगढ़ पारेषण लाईन के निर्माण हेतु जनपद हाथरस में १.००८२ है० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- ८वी/यू०पी०/०४/२२/२०१८/एफ०सी०/१९८ दिनांक २३.०३.२०१८ एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की पत्र संख्या-२८४५/उरई-अलीगढ़ लाईन (१.६६७)/३१५०६/२०१६ दिनांक ०५.०४.२०१८

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जो आपको भी पृष्ठांकित है, के द्वारा कतिपय आपत्तियां लगायी गयी हैं।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुये प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ तीन दिन में कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ से प्राप्त कर अलीगढ़ वन प्रभाग एवं अपने स्तर की निस्तारित की जाने वाली आपत्तियों का निराकरण कर समस्त सूचनाओं को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें। इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब न किया जायें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(मुकेश शर्मा)

प्रभागीय वनाधिकारी

हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

पत्रांक /१४-१, दिनांकित।

१. प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सचूनार्थ प्रेषित।
२. प्रतिलिपि-वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सचूनार्थ प्रेषित।

(मुकेश शर्मा)

प्रभागीय वनाधिकारी

हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।